Socio-religious have profound influence on India's National Movement. Discuss.

ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्तर्गत सामाजिक-धार्मिक सुधार व समूह ने बहुत ही व्यापक भूमिका निभाई तथा भारतीय जनता में चेतना, वैज्ञानिकता, आत्म-सम्मान की वृद्धि, एवं राष्ट्रवाद व मानवतावाद को बढ़ावा दिया जिससे की जनता के मानसिक मुक्ति में वृद्धि, अंग्रेजों के प्रति अपने तथा अपने की हित का सम्मान खुद को औपनिवेशिक शोषण बचाने लगे।

सामाजिक-धार्मिक सुधार में राजा राममोहन की भूमिका सर्वप्रमुख मानी जाती है। उन्होंने पुरुषों [illegible] को महत्व दे लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता की सम्पूर्ण स्वतंत्र प्रेरित किया की सम्पूर्ण कराया तथा इस हेतु अधिकार [illegible] प्रेस की स्वतंत्रता का [illegible] किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा [illegible] किया जाता है तथा उसे द्वारा प्रदान [illegible] किया [illegible] रोक नहीं सकता। इसी प्रकार धार्मिक या [illegible] राष्ट्रवाद ने इसे भी [illegible] वैज्ञानिकतावाद एवं [illegible] प्रदान की। [illegible] लोगों को [illegible] धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद द्वारा [illegible] धार्मिक ग्रंथों को समझने का [illegible] धार्मिक [illegible] जिसके द्वारा इन्हें अपने [illegible] आडंबरों को [illegible] तथा [illegible] जानने का मौका मिला।

सुधार आंदोलन ने विभिन्न धर्मों में [illegible] आत्मविश्वास को [illegible] तथा अपने [illegible] द्वारा [illegible] विभिन्न [illegible] अंग्रेजों द्वारा स्थापित [illegible] भावना है बुद्धि [illegible] नहीं [illegible] करने [illegible] के औपनिवेशिक शोषण [illegible] के अन्तर्गत [illegible] स्वतंत्र [illegible] के [illegible] [illegible] होने लगी।

राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों में सुधार [illegible]। अर्थात् समाज सामाजिक [illegible] में [illegible] भूमिका निभायी। फलतः [illegible] [illegible] [illegible] भारत का नया [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] तथा इसाईयों को [illegible] का प्रसार [illegible] तथा इन्हें अपनी [illegible] का [illegible] कराया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में नया [illegible] [illegible] व [illegible] ने भारतीय समाज में [illegible] को [illegible] करके तथा भारतीय [illegible] [illegible] को नयी दिशा प्रदान की तथा [illegible] [illegible] मुश्किल हो या [illegible] नहीं अंग्रेजों को अपना राष्ट्र समझने लगे। तथा [illegible] को स्वतंत्र कराने के लिए एकता [illegible] [illegible] का विकास प्रबल होने लगे तथा [illegible] होकर अंग्रेजों के विरोध संगठित [illegible] [illegible] [illegible] में चेतना व [illegible] [illegible] [illegible] के बिना संभव नहीं हो सकता था।

GENERAL STUDIES HINDI

अंतरात्मा की आवाज क्या है और कैसे यह सिविल सेवक को मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में सहायता किया करता है।

अंतरात्मा की आवाज एक अभिवृत्ति है जो हमें उसके लिए एक मार्गदर्शक प्रदान करती है कि कौन सी चीज नैतिक रूप से सही या गलत है तथा बोध कराती है कि उसका प्रभाव जनमानस, समाज व वैश्विक या राष्ट्र स्तर पर क्या हो सकता है। इनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों तथा संस्कृति व ज्ञान के आलोक में होती है।

एक सिविल सेवक की भूमिका समाज के प्रत्येक स्तर पर अपनी ज्ञान व नैतिकता से तर्क तथा अनुकूल पर मानव के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए होती है चूँकि सिविल रूप से सेवा करने के प्रक्रिया पूर्ण रूप से सिविल सेवक का कार्य व कई प्रकार के लोगों की मानसिकता चुनौती तथा करना पड़ता है। एवं वह के अनुरूप गुजर कर अपने कार्यों को पूरा रूप लेके जाते हैं जिसमें अपने जैसे लाभ, करने के लिए कई चुनौतियाँ सामना करना होता है जैसे क्रोध व लालच का सामना व समाज के हित में सार्थक काम बढ़ाने के लिए अंतरात्मा की आवाज उसे सही मार्गदर्शक निर्देशित करती है तथा के सही है उनका दिशा-निर्देश सही है या गलत है उसे बताती है कि क्या सही है या गलत है चूँकि अंतरात्मा हमारे साथ सदैव रहती है जो हर समय वे कर्मों का तथा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या सही है या गलत है।

अतः अंतरात्मा की आवाज वह प्रकाश-स्तंभ है जो सिविल सेवक के चुनौतियों भरे जीवन में उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक कार्य व विचारों को चुनने तथा करने में हर पल सहायता प्रदान करती है।

आधुनिक शहरों में नियोजन में बहुत कमियाँ हैं तथा जिससे आधुनिक सुनियोजित शहरों की जगह समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

भारत की 18% जनसंख्या, पूरे विश्व के 2% जमीन पर निवास करती है तथा जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान में हमारा स्थान चीन के बाद है एवं लगभग 121 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। इसके अलावा शहरों का असमानुपातिक फैलाव बढ़ने तथा क्षेत्रफल पर शहरों का अव्यवस्थित फैलाव नियोजन बहुत सारी समस्याओं व चुनौतियों उत्पन्न करती है।

आधुनिक शहरों में नियोजन के प्रबंधन में निम्न कमियाँ देखने को मिलती हैं।

→ विभिन्न शहरों में Line Agency की संख्या बहुत ज्यादा है तथा उनके बीच एक समन्वय व समन्वय का अभाव है। उदाहरणत: दिल्ली।

→ भूमि को एक कारक के रूप में नहीं लिया जाता है अर्थात् सीमित भूमि का उचित प्रबंधन

→ दूसरी तरफ भारत में शहरी नियोजन हमेशा funding, DDA और functionaries का काफी समस्या रहती है।

→ भारत की Urban planning को Bottom नीचे से ऊपर होना चाहिये परंतु ये ऊपर से नीचे थोपा भी जाती है जिससे कई समस्या आती है।

→ इनके महत्वपूर्ण समस्या यह है कि भारत में शहरी नियोजन का कोई integrated/holistic planning का अभाव है जिससे हर समय विभिन्न zone में बँटा है जिससे नियोजन अलग-2 होता जाता है।

नियोजन से निपटना

शहरी समस्याओं व चुनौतियों को देखते हुए शहरी नियोजन बनाने की होड़ तथा एक उपयुक्त शहरी नियोजन से समस्याओं से छुटकारा है परंतु सर्वप्रथम इन समस्याओं से निपटने के लिए निम्न उपाय अपनाये जा सकते हैं।

→ सर्वप्रथम Town planning का एकीकृत योजना बनानी चाहिए जिससे की बार-बार योजना को बनाने में धन व समय व्यर्थ ना जाये एवं छोटे शहरों में जनसंख्या तथा स्थानीय प्रशासन को भी सक्रिय रहना चाहिए।

→ इसके अलावा नियोजन को bottom-up संदर्भ को लेकर बनाया चाहिए जिससे की कम आय वाले लोगों तक इसका लाभ वहन किया जा सके।

→ शहरी नियोजन के संबंध में राज्यों व पंचायतों या नगरपालिका के बीच का संबंध केन्द्र व राज्यों की तरह होना चाहिए, जिससे विकेन्द्रीकरण के तहत योजनाओं को पूरा करने में सुविधा हो।

→ Technical रूप में जब कोई कार्यान्वित योजना बाजार में लाया जाता है अत: इसके परिसंरक्षण व एक निश्चित समय Audit करना भी आवश्यक हो।

→ इस योजना के अन्तर्गत developers के कार्य व आय के स्रोत को बढ़ाने की भी व्यवस्था करना चाहिए जिससे की अधिक धन कमाने के चक्कर अनैतिक कार्य में न पड़े।

→ पुन: नीति आयोग को नज़र रखने होंगे जिससे जब तो प्रशासनिक तथा अन्य कठिन व्यवस्था को शीघ्रता से दूर किया जाने में सहायता मिलेगी।

प्र० - ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के मुद्दे का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक पर सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे संवैधानिक ढाँचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। विवाह के जिस बंधन को इतना पवित्र माना जाता है, क्या उसे सिर्फ तीन बार तलाक बोल देने से विच्छेदित मान लिया जाना चाहिए? क्या कोई भी सभ्य समाज विवाह संबंध तोड़ने के इतने आसान नियम को स्वीकार कर सकता है।

भारत में फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम तथा मोबाइल फोन के जरिए बढ़ते तलाक के मुद्दों के मद्देनजर कई महिला संगठनों ने तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करने की मांग मुखर की है। तीन तलाक से सबसे अधिक आहत मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं।

पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित कई इस्लामी देशों में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कई देशों में तो पति-पत्नी के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए मध्यस्थता परिषदों और न्यायिक हस्तक्षेप का भी प्रावधान है। लेकिन भारत में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहाँ पर पुरुष तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण करके शादी को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी इस तरह के ट्रिपल तलाक की अनुमति देता है। यह मुस्लिम समाज की महिलाओं के जीवन में एक अभिशाप की तरह है।

GENERAL STUDIES HINDI

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कोई संहिताबद्ध कानून नहीं हैं। ये मुख्यतः अंग्रेजों के समय के दो कानूनों, एक 1937 का अधिनियम, और दूसरा 1939 का अधिनियम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। परंतु ये प्रावधान भी पूरी तरह व्यापक नहीं हैं। मामले से जुड़े सभी पहलुओं का निर्धारण होते हुए धार्मिक लोगों की समझ पर निर्भर हो गया है जिनमें काफी सीमित और पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले लोग हैं। इसी का नतीजा ट्रिपल तलाक के रूप में दिखाई देता है।

क्या किया जाना चाहिए — हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर काफी तेज है। वर्ष 2050 तक भारत के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश बनने की संभावना व्यक्त की गई है। स्पष्ट है कि ऐसे समाज की

महिलाओं के साथ इस प्रकार के भेदभावपूर्ण रवैये को समाप्त किए जाने की ज़रूरत है।

- मुस्लिम समाज में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए ताकि वे शिक्षित हो सकें और इस प्रकार के कुरीतियों के खिलाफ खड़े हो सकें।

- मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे बढ़कर अपने कानूनों की आज के मांग के अनुसार समीक्षा करनी चाहिए।

- भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसमें योगदान देना चाहिए।

- सरकार को मजबूत इच्छाशक्ति के साथ इस दिशा में कदम आगे बढ़ाने चाहिए।
- सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ट्रिपल तलाक समाज पर एक धब्बे की तरह है। इस दिशा में सरकारों को कई और उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। मुस्लिम समाज की महिलाओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को दिलाने व उनके साथ हो रहे भेदभावों को दूर करने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के प्रावधान समाप्त किए जाएं।

GENERAL STUDIES HINDI